बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–2/एल–53/2023– / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० कुमारी रंजना, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली के द्वारा दिनांक–25.07.2024 से 24.07.2025 तक कुल–365 (तीन सौ पैसठ) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2440(25), दिनांक–24.11.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० कुमारी रंजना को 92 (वेरानवे) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/एल–53/2023– 260(2) **पटना, दिनांक** 9/2/**2026**

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/डा० कुमारी रंजना, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

D Sec 2 2026 adesh 2026